27/9/22 आज यह पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी
प्रार्थी/अप्रार्थी उप०) मूल वाद में प्रार्थना
पत्र धारा ।। स्वीकार होने से पत्रावली
खारिज किया जा चुकी है। इसलिए इस
प्रार्थना-पत्र को आगे चलाने का कोई
औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली इसी स्तर
पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर मूल वाद के साथ रखी जाकर
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०